प्रेस नोट 20.09.2020

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.09.20 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 571/20 धारा 498,304बी भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त कृष्णा राजभर पुत्र रामसूरत राजभर, गुजराती देवी पत्नी रामसूरत निवासीगण लैरोदोनवार थाना कोपागंज, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 372/20 धारा 419,420,467,468,504,304 भादवि0 व 15(3) भा0मे0का0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त उदय चन्द्र चौहान उर्फ पप्पू पुत्र विजय शंकर निवासी भनवली थाना भीमपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अवैध शीशम की लकड़ी के बोटे के साथ एक गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.09.20 को थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रामकृपाल पुत्र केदार नाथ निवासी अहिरौली थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 03 अवैध लकड़ी के बोटा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 605/20 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा मो0 साजिद, मो0 इब्राहिम निवासीगण थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा अखिलेख, श्रवण, राजू प्रसाद निवासीगण रेयाव, रामप्रकाश निवासी बुढ़ावर थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रामबदन, सुधीर निवासीगण माछि जमीन माछि थाना घोसी, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा श्यामलाल निवासी सिकड़ीकोल थाना मधुबन, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा रामसूरत निवासी बस्ती डाड़ीडीह, अमित, अनिकेश, कोमल, कान्ता, विद्यावती निवासीगण चकरा थाना हलधरपुर मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से चार दंपति साथ– साथ रहने को हुए राजी 18 में से 09 मामलों का हुआ निस्तारण–

महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख में हुई। इसमें कुल 18 मामले आए। जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से नौ मामला का निस्तारण हुआ । जिसमें चार दंपति अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। एक मामले में सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई। इस दौरान तीन मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही चार मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा दो मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि चार अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। महिला एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से बंदना यादव और सुनील यादव ,मनरावती और राम सोच, राज नारायण मिश्रा और जागृति मिश्रा तथा नसरीन और अबू तलहा ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वहीं मोहम्मद यासीन और अकिला खातून, अमृता यादव और राम शरीख, गुडिया और जितेन्द्र तथा सहाना खातून और मेराज के मामले में पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। तथा कौशल्या चौहान और मनीष के मामले मे पक्षकारो के बीच सुलह न होने की स्थिति में पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही सुनीता यादव और

अवधेश, प्रियंका गुप्ता और प्रवीण गुप्ता, रूपेश कुमार और अंजली के मामले में पक्षकारो ने सुलह के लिए समय की मांग किया। तथा ज्योति वर्मा और राधेश्याम ,रमेश वर्मा और मनीष वर्मा, प्रियंका और राकेश तथा कृष्णावती देवी और सरोज के मामले में एक—एक पक्ष उपस्थित हुए तथा शाहिदा परवीन और उफैजा तथा पूजा और अजय राम के मामले में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि चार अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, एच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण इब्राहिम सेवक, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, अर्चना उपाध्याय तथा महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने योगदान दिया। बैठक में कोविड—19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।